न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

प्रकरण कमांक 198 / 2016 सत्रवाद संरिथत दिनांक 25-06-2016 ेमध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अभियोजन

बनाम

सुरेश सिंह गुर्जर उर्फ पप्पू गुर्जर पुत्र भीमसेन गुर्जर, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम कठवा गुर्जर थाना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अभियुक्त

ALIMINA PAREIRA SUNTA न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 308/2016 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 198/2016

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री आर०सी० यादव अधिवक्ता। 🌠

> र्ण य / /

//आज दिनांक 17-12-2016 को घोषित किया गया//

- आरोपी का विचारण धारा 376 भा0दं0वि० के आरोप के अपराध के संबंध में 01. किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 27.04.2015 को रात्रि साढे दस बजे रामशरण गुर्जर के मकान के पास ग्राम कठवा गुर्जर थाना गीहद में अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती संभोग कर बलात्कार किया
- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 28.04.2015 को 02. अभियोक्त्री जो कि ग्राम कठवां गुर्जर की निवासिनी है के द्वारा उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की, कि वह दिनांक 27.04.2015 को शाम साढे दस बजे अपने खेत पर जहाँ थ्रेसर चल रहा था जा रही थी, तभी तिराहा के पास सैर में दो लोग एकदम उसके सामने आ गए, जिसमें एक उसके गांव का सुरेश उर्फ पप्पू गुर्जर और एक अन्य व्यक्ति जिसे वह पहचान नहीं पाई थी मिले। पप्पू उर्फ सुरेश ने उसे पकड लिया और उसके कपडे ऊचे कर उसके साथ गलत काम किया। वह जोर जोर से चिल्लाई थी, किन्तु पास में थ्रेसर चलने के कारण

उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। उसका पित आगे निकल गया था, जब उसने देखा कि वह नहीं पहुँची तो वह लौटकर उसे देखने आया तब उसने अभियोक्त्री को सुरेश से बचाया तो दोनों लोग भाग गए। वहाँ पर गांव के अन्य लोग भी आ गए थे। वह अपने पित ओमप्रकाश, सरपंच रामाधारसिंह और गांव के लोगों के साथ रिपोर्ट करने थाने गई। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद में अप.क. 113/15 धारा 376 भा.द.वि का लेखबद्ध किया गया। अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया। उसके धारा 161 दं.प्र. सं. के कथन लेखबद्ध किए गए एवं मित्रस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी को गिरफतार किया गया तथा आरोपी का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीडिता एवं आरोपी के कपडे एवं सीमन स्लाइड की जप्ती की गई। जप्तशुदा वस्तुएं परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि किमट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 03. आरोपी के विरूद्ध धारा 376 भा०दं०वि० का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. दंड प्रिकृया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश न करना व्यक्त किया।
- 05. आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
 - 1. क्या दिनांक 27.04.2015 को रात्रि साढे दस बजे रामशरण गुर्जर के मकान के पास ग्राम कठवां गुर्जर थाना गोहद में अभियोक्त्री के साथ बलात्कार की घटना कारित हुई?
 - 2. क्या आरोपी के द्वारा ही उपरोक्त बलात्कार की घटना कारित की गई?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु कमाक 1 व 2:-

06. घटना की अभियोक्त्री अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में केवल यह बताया है कि घटना दिनांक को रात दस बजे जब वह अपने खेत जहाँ पर कि गेंहूँ की थ्रेसिंग का काम चल रहा था जा रही है। इस दौरान गांव के तिराहे के आगे नीम के पेड के पास दो

आदमी आए जो कि मुँह वांधे हुए थे और रात का अंधेरा था। उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़कर पटक दिया और उसके कपड़े उठाकर उसके साथ बुरा काम बलात्कार कर दिया और दूसरा आदमी वहीं पर खड़ा रहा। वह चिल्लाई तो उसका पित आ गया। घटना कारित करने वाले भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट उसने थाना में लिखाई जो प्र.पी. 1 है जिस पर पुलिस ने उससे अंगूठा निशान लगवाया था। पुलिस ने नक्शामौका भी बनाया था जिस पर उसने अंगूठा निशान लगाया था। अभियोक्त्री को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान अभियोक्त्री के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन देते समय उसने बताया था कि आरोपी पप्पू ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया था और बलात्कार किया था जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया कथन प्र.पी. 4 के ए से ए भाग की बात उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बताई थी।

- 07. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी ओमप्रकाश अ0सा0 2 जो कि पीडिता का पिता है उसके द्वारा भी यह बताया गया है कि घटना दिनांक को गेंहूँ की लांक कटवाने के लिए जा रहा था, वह आगे था उसकी पत्नी पीछे जा रही थी। उसकी पत्नी काफी देर तक नहीं आई तो वह लौटकर आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी, उसने बताया था कि दो लोग मुँह पर कपड़ा बांधे हुए आये और एक ने उसे जमीन पर पटककर उसके साथ बलात्कार किया था। गांव के सरपंच व अन्य लोग भी आ गए थे। वह पत्नी को लेकर थाने आया था। उसकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट की थी। इस बिन्दु पर साक्षी रामाधार अ0सा0 3 के द्वारा भी पीडिता के पति के रात में उसके घर पर आना और पीडिता व उसके पति के साथ रिपोर्ट करने के लिए जाने के संबंध में बताया है। यद्यपि साक्षी पीडिता के द्वारा घटना के बारे में उसे कोई जानकारी न देना बताया है।
- 08. घटना की अभियोक्त्री के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, अभियोक्त्री के द्वारा घटना दिनांक की रात्रि को उसके साथ बलात्कार होने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया है, किन्तु उक्त घटना में वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी सुरेश उर्फ पप्पू लिप्त रहा हो ऐसा कहीं भी पीडिता के साक्ष्य कथन में नहीं आया है। इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी ओमप्रकाश अ०सा०२ जो कि घटना के पश्चात् घटनास्थल पर आ गए थे और जिसे कि पीडिता के द्वारा घटना के संबंध में और आरोपी के घटना में संलग्न होने के बारे में बताया गया था। साक्षी ओमप्रकाश यद्यपि घटना

स्थल पर पहुँच जाना और उसकी पत्नी अभियोक्त्री के द्वारा उसे उसके साथ बलात्कार होने के संबंध में बताया जाना अभिकथित कर रहा है, किन्तु वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी के घटना में संलग्न होने के संबंध में कोई बात साक्षी के कथन में नहीं आई है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रामाधारिसंह अ०सा० 3 के साक्ष्य कथन में भी आरोपी को घटना में संलग्न होने के संबंध में अथवा उसके द्वारा ही घटना कारित किये जाने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं आया है।

- 09. उपरोक्त बताई गई बलात्कार की घटना में वर्तमान आरोपी के ही संलग्न होने अथवा उसके द्वारा ही अभियोक्त्री के साथ बलात्कार की घटना किये जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी डॉक्टर बिमलेश गौतम अ0सा0 4 जिनके द्वारा कि पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है के साक्ष्य कथन में भी उसके परीक्षण उपरांत बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दे पाने का उल्लेख आया है जो कि इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 7 होना और उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त पीडिता के पेटीकोट, प्यूबिक हेयर, स्लाइड व स्वाव शीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौपा जाना भी उनके द्वारा बताया गया है।
- 10. घटना के पश्चात् आरोपी पप्पू उर्फ सुरेश को गिरफ्तार कर उसका भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है और उसके चिकित्सीय परीक्षण में उसे संभोग करने हेतु सक्षम होना पाया गया है। इस संबंध में डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 के द्वारा आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, जिसमें कि उसे संभोग करने में सक्षम होने का उल्लेख आया है जो कि मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। यद्यपि साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी मेथुन नहीं कर पाया था जिस कारण उसके बीर्य की स्लाइड नहीं बनाई जा सकी थी। इस प्रकार यद्यपि आरोपी संभोग करने में सक्षम है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि वह संभोग करने में सक्षम है उसे अपराध में लिप्त होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- 11. अभियोजन के द्वारा घटना के पश्चात् अभियोक्त्री के बाल, स्लाइड, स्वाव और प्यूबिक हेयर तथा आरोपी की स्लाइड का परीक्षण राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला से कराया गया है जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी.1 में स्लाइड 'ए' तथा पीडिता के प्यूबिक हेयर 'बी' तथा स्लाइड 'सी2' और स्वाव 'सी3' में मानव शुकाणु

होना पाये जाने के संबंध में अभिमत दिया गया है, किन्तु इस संबंध में कोई भी एडवांस परीक्षण नहीं कराया गया है और न ही कोई डी.एन.ए. टैस्ट कराया गया है जिससे कि इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि उक्त शुकाणु आरोपी के ही थे जिससे कि इस संबंध में पीडिता के साथ बलात्कार होने की कोई सम्पृष्टि हो सके।

- 12. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से उसके साथ घटना दिनांक को बताई गई घटना के समय बलात्कार होने के संबंध में बताया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् दर्ज कराई गई है, उसमें भी स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा ही अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के संबंध में आया है और अभियोक्त्री के द्वारा मिजस्ट्रेट के समक्ष घटना के तुरन्त पश्चात् अगले दिन ही धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन कराए गए है, उसमें भी स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में बताया है। ऐसी दशा में यद्यपि अभियोक्त्री अपने साक्ष्य कथन के दौरान किन्हीं कारणों से यद्यपि आरोपी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है, किन्तु उक्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के अपराध में संलग्न होने का तथ्य प्रमाणित होता है।
- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट का जहाँ 13. तक प्रश्न है, यद्यपि यह सत्य है कि घटना दिनांक 27.04.2015 की रात्रि 10 बजे की होनी बताई गई है और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी रात्रि को ही जो कि दिनांक 28.04.2015 के 00:45 बजे थाना गोहद में दर्ज कराई गई है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील खेमरिया अ०सा० 6 के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख होने का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती। इस बिन्द् पर जितेन्द्र कुमार वि० स्टेट ऑफ हरियाणा (2012)6 एस.सी.सी. 204 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध घटित होने के संबंध में स्वयं में कोई साक्ष्य नहीं होता है, इसका उपयोग केवल अभियोजन के मामले के लिए सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम सूचना में आरोपी का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

- 14. जहाँ तक धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है, यद्यपि अभियोक्त्री केद्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन में आरोपी के द्वारा ही उसके साथ घटना कारित करने के संबंध में बतया है, किन्तु इस संबंध में बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी. सी. 736 में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते है वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह है और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं उहराया जा सकता । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी को नाम का उल्लेख आने तथा धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में आरोपी के नाम का उल्लेख होने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।
- 15. 🔷 ्रयह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा ही उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करने के संबंध में बताया है और उसने अपने साक्ष्य कथन में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन थाना प्रभारी रिपोर्ट लेखक सुनील खेमरिया अ०सा० ६ के द्वारा भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हुए बताया गया है कि फरियादिया के द्वारा आरोपी सुरेश उर्फ पप्पू के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन में भी स्पष्ट रूप से अभियोक्त्री के द्वारा आरोपी पप्पू केद्वारा ही उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में बताया है, किन्तु न्यायालय में हुए कथन में अभियोक्त्री घटना के समय मुंह बांधे हुए दो आदिमयों के आने और उन्हीं में से एक आदमी ने उसे पकडकर पटक देने और उसके साथ बलात्कार कर देने के सबंध में अभिकथन कर रही है, जो कि उसके द्वारा न्यायालय में हुए शपथ पर साक्ष्य कथन में मिथ्या साक्ष्य गढे जाने को स्पष्ट करता है और इस बात को दर्शाता है कि उक्त अभियोक्त्री न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सही कथन नहीं करना चाहती और मिथ्या साक्ष्य उसके द्वारा आरोपी से मिलकर या किसी प्रलोभनवश उसे बचाने के उद्देश्य से दी जा रही है एवं साक्ष्य गढ़ा जा रहा है। इस संबंध में अभियोक्त्री के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पर मिथ्या साक्ष्य दिये जाने एवं गढे जाने के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जानी उचित होगी।
- 16. उपरोक्त विवेचना एवं विष्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन का प्रकरण आयी हुयी साक्ष्य के आधार पर युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुये आरोपी को धारा 376 भा0द0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा पीडिता का पेटीकोट, स्लाइड, बाल एवं आरोपी की सीमन स्लाइड अपील अवधि पश्चात् मूल्य हीन होने से नष्ट की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के अनुसार जप्त सुदा संपत्ती का निराकरण किया जाये।

WIND A PARTY PARTY

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)